

झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में  
सी०एम०पी० संख्या-258 / 2019

अब्दुल हकीम

..... याचिकाकर्ता

बनाम्

1. झारखण्ड राज्य
2. प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड सरकार, नेपाल हाउस, डोरंडा, राँची
3. अभियंता प्रमुख, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड सरकार, नेपाल हाउस, डोरंडा, राँची
4. मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई विभाग, झारखण्ड सरकार, कचहरी रोड, राँची
5. कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रभाग, हुसैनाबाद, पलामू ..... विपक्षी गण

कोरम: माननीय न्यायमूर्ति श्री आनंदा सेन  
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से

याचिकाकर्ता(एस) के लिए : श्री रंजन कुमार सिंह, अधिवक्ता  
ओ०पी० संख्या 5 के लिए : श्री कुणाल चंद्र सुमन, एस०सी०-I के ए०सी०

03 / 01.10.2021

अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण याचिकाकर्ता के वकील ने डब्ल्यू०पी० (एस०) सं०-2909/2017 में कार्यालय द्वारा बताए गए त्रुटियों को दूर नहीं किया गया था। इस प्रकार, उपरोक्त मामले में पारित दिनांक 04.02.2019 के आदेश के द्वारा रिट आवेदन खारिज हो गया। वह आगे निवेदन करते हैं कि जैसे ही इस रिट याचिका को पुनःस्थापित किया जाएगा, वह त्रुटियों को दूर कर देगा।

पूर्वोक्त सबमिशन को ध्यान में रखते हुए, सी०एम०पी० सं०-258/2019 की अनुमति दी जाती है।

तदनुसार, डब्ल्यू0पी0 (एस0) सं0-2909/2017 को इसकी मूल फाइल में पुनःस्थापित किया गया है।

(आनंदा सेन, न्याया0)